

कार्यालय आदेश

विधायक निधि के अन्तर्गत की परियोजना का प्रारम्भ कर दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी, विधायक निधि द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय संख्या **खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट** को निम्नलिखित निर्देशों के अधीन धनराशि अवमुक्त की जाती है।

- 1 कार्यालय विधि के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यनिर्देशों/कार्यों के अनुसार कालानुसृत किया जाये।
- 2 इस धनराशि को उपायोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनिश्चितता होगी तथा विभाग को उत्तरदायीता प्रकृतियाँ किताब प्रयोग।
- 3 ल. पञ्जाब/संख्या 03/2007/ख/07/51(01) 2007/ग्राम विकास अनुभाग/देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2007 के दिने गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य की Detail Estimate एवं डिजाइन Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा एक पर स्थान अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तदनुसार कार्य उसके अनुसार शुरू-प्रारम्भ किया जाये। यदि कोई Variation (भिन्न-भेद) हो तो स्थान अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाये। अंकित बिज के मुताबिक से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं मुगलता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा मुगलता की जांच हो, तदुपरांत मुगलता किया जाये।
- 4 ल- निर्माण कार्य हेतु टोपी मासिक करी व्यक्ति को बनाया जाये, जितने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो, साथ ही निर्माण कार्य का सम्पन्न-समाप्त पर तकनीकी परीक्षण उत्तर अधिपन्नता तथा सहायक अधिपन्नता द्वारा किया जाये।
- 5 ग- सभी निर्माण कार्य की ड्राइंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक से भी उक्त ड्राइंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्ण से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाये तथा योजना यदि अक्षयितक सम्बन्धी के स्वाम हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाये।
- 7 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि घन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं निजी न्यायो, व्यक्तिगत द्वारा अर्जित की गई है उसका उस भूमि को अर्जित करने का स्वामित्वधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को कर्तव्य सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अर्जित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अर्जित/स्थानान्तरित भूमि का अर्जित किया गया हो अर्जित प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अर्जित जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पदांश समझा है जब तक अर्जित कानूनी वैधता प्राप्त करे साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसरमयित उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।
- 8 इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए अपूर्णताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये।
- 9 स्वीकृत धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी (प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत, तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)
- 10 स्वीकृत कार्य का कोई लगाना अनिवार्य होगा जिसमें मा0 विधायक का नाम, योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवरोध अंकित किया।
- 11 योजना को पूर्ण करके हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र में किया जायेगा। इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारीख से पूर्व नियमित रूप से जिला विकास अधिकारी, विधायक निधि को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाये।
- 12 प्रमुख सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/ख/17/56(21) (2007)दिनांक 5.12.2017 द्वारा निर्गत विधायक निधि के संसाधित मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या-2.2 के अनुसार जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।
- 13 इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रक-रखाव और अनुभ्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बन्ध अधिकरण द्वारा किया जायेगा।
- 14 सामग्री के कच के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर धर्षण क्लस एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
- 15 इस योजना-न्तर्गत धरमित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी सहनति के दिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- 16 निम्न निर्माण कार्य तीन महीने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।
- 17 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियमों बजट मनुषल और लेखा परिधान सम्बन्धी प्रकियाएँ मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाये।
- 18 इस निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात् विभागीय पद्धति(गस्ट्रोल) कार्यदेश के आधार पर करके जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख मात्र) रहेगी।
- 19 विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर किया जायेगा
- 20 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के संप्लेस कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी।
- 21 योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का मुगलान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।
- 22 इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अवमुक्त धनराशि तथा व्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।
- 23 निर्माण कार्य के अन्तर्गत अधिकारियों के विशेष अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इस निर्माण कार्य का स्थानीय निरीक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निर्माण कार्य में निर्धारित प्रकिया एवं विशिष्टियों के अनुसार सतत-प्रगति हो रही है।
- 24 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुभ्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।